

राजस्थान विधान सभा

षष्ठम् सत्र

कार्य-सूची

शुक्रवार, दिनांक 18 मार्च, 2011

बैठक का समय-प्रातः 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

2. समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन

(1) श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सभापति, महिला एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, 2010-2011 समिति के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करेंगी :-

- 1- जयपुर स्थित विभिन्न थानों में स्थापित महिला डेस्क के आकस्मिक निरीक्षण से संबंधित महिला एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, 2010-2011 का 19वां प्रतिवेदन;
- 2- बाल भारती विशिष्ट मॉन्टेसरी स्कूल, गंगाशहर रोड़, बीकानेर में प्रशासक नियुक्त करने तथा निवासी कोकापुर, पुलिस थाना-सागवाड़ा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना में अपराधियों से सुरक्षा उपलब्ध कराये जाने से संबंधित महिला एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, 2010-2011 का 20वां प्रतिवेदन;

3. याचिकाओं का उपस्थापन

(1) श्री पवन दुग्गल, सदस्य विधान सभा निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करेंगे :-

- I- कच्ची बस्ती घड़साना-रावला को मण्डी विकास समिति, बीकानेर से लेकर ग्राम पंचायत को देने बाबत;
- II- रावला व नाहरावाली को उप-तहसील बनाने बाबत; एवं
- III - घड़साना-नाहरावाली में बालिका विद्यालय क्रमोन्नत व नया खोलने बाबत।

(2) श्री बाबूलाल खराड़ी, सदस्य विधान सभा निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करेंगे:-

- I- विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के ग्राम बाता से रेल्वे स्टेशन बाता के बीच 3 किलोमीटर की सड़क का डामरीकरण करने बाबत; एवं
- II- ग्राम भगवानपुरा, ग्राम पंचायत इन्दरा चारणा एवं रायपुरीया ग्राम पंचायत वणदार में उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत करने बाबत।

(3) श्री हरिसिंह रावत, सदस्य विधान सभा, विधान सभा नगर, ग्राम धौलाई, जयपुर के समस्त निवासियों हेतु पत्रकार कॉलोनी में सप्लाई किये जा रहे जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से पीने का पानी उपलब्ध कराने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।

(4) श्री जगसीराम, सदस्य विधान सभा साम्बरिया, भीलों की ढाणी, गुडा किरीयात व ओड़ा एवं गुडविवदा सोलकियान, कोटकी ढाणी, ग्राम पंचायत कोटसोलकियान के सातों गाँवों में बिजली पहुँचाने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।

(5) श्री रामनारायण मीणा, सदस्य विधान सभा कनवाड़ा गणेशजी से ग्राम सांखली तक डामर सड़क निर्माण कार्य पूर्ण करवाये जाने हेतु स्वीकृत राशि में बढ़ोतरी किये जाने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।

4. अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2010-2011 पर मुखबन्द का प्रयोग किया जाकर मतदान एवं पारण

अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2010-2011 मुखबन्द का प्रयोग किया जाकर मतदान हेतु प्रस्तुत की जाएंगी ।

5. विधायी कार्य

(अ) विधेयक का पुरःस्थापन, विचार एवं पारण

राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2011

- राजस्थान विनियोग(संख्या-1)
विधेयक, 2011
(2011 का विधेयक संख्या-4)
- (I) श्री अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-
"वित्तीय वर्ष 2010-2011 की सेवाओं के लिये राज्य की समेकित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोजन को प्राधिकृत करने के लिये विधेयक।"
- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।
- (III) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।
- (IV) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय।

(ब) विचारार्थ लिया जाने वाला विधेयक

राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2011

- (I) श्री भरत सिंह, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-
- राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2011 (2011 का विधेयक संख्या-15)
- "राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 को और संशोधित करने के लिये विधेयक।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

- (II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय।

6. आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2011-2012

द्वितीय अवस्था

अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान

निम्नांकित अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान होगा :-

<u>क्र.सं.</u>	<u>मांग संख्या</u>
1.	28 - ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम
2.	41 - सामुदायिक विकास
3.	50 - ग्रामीण रोजगार

(कटौती प्रस्ताव जो पृथक से वितरित किये जा चुके हैं/रहे हैं, प्रस्तुत किये जायेंगे।)

एच.आर. कुड़ी
सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 17 मार्च, 2011